"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 566] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2015— अग्रहायण 26, शक 1937

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 26, 1937)

क्रमांक-11331/वि. स./विधान/2015 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015 (क्रमांक 33 सन् 2015) जो गुरुवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 33 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015

खण्ड

अध्याय-एक
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

2. परिभाषाएं

अध्याय-दो
परिषद् का गठन

3. परिषद् का गठन एवं संरचना.

4. परिषद् का निगमन.

5. रजिस्ट्रार की नियुक्ति.

6. नामांकन की रीति.

7. निरर्हता.

8. परिषद् की बैठकें.

9. कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियां.

10. परिषद् के अन्य कर्मचारीगण.

अध्याय-तीन
परिषद् के कृत्य

11. परिषद् का कृत्य.

12. अध्ययन के नये पाठ्यक्रम आदि की स्थापना हेतु पूर्व अनुमति.

13. कतिपय मामलों में अर्हताओं की गैर-मान्यता.

14. कतिपय विद्यमान संस्था आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु समय.

15. भारत में विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता.

16. व्यावसायिक आचार.

अध्याय-चार
वित्त

17. परिषद् की आय.

18. परिषद् की निधियाँ.

19. बजट.

20. वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय-पांच
पंजी (रजिस्टर) तैयार करना और उसका संधारण करना

21. पंजीयन हेतु पात्र व्यक्ति.

22. पंजीयन प्रमाणपत्र.

23. पंजी से नाम का हटाया जाना.

अध्याय-छः
अपराध एवं शास्तियाँ

24. अनाधिकृत व्यक्ति या संस्थान द्वारा पीएच.डी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि, आदि प्रदान करना, मंजूर करना अथवा जारी करना.

अध्याय-सात
विविध

25. शासन द्वारा निर्देश.

26. परिषद् को अधिक्रमित करने की शक्ति.

27. नियम बनाने की शक्ति.

28. विनियम बनाने की शक्ति.

29. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

30. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.

अनुसूची

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 33 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् विधेयक, 2015

फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में समन्वय एवं शिक्षा और व्यवसाय के स्तर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् के स्थापना के लिए, राज्य में फिजियोथेरेपिस्ट्स एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स हेतु पंजी (रजिस्टर) के संधारण के लिए और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-एक
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए, विभिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद्;

(ख) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ग) "संस्थान" से अभिप्रेत है भारत के भीतर अथवा बाहर, किसी राज्य शासन या परिषद् द्वारा कोई मान्यता प्राप्त संस्थान, जो फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, यथास्थिति, स्नातक उपाधि, स्नातकोत्तर उपाधि या पीएच.डी की उपाधि प्रदान करता है;

(घ) "ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता धारण करता हो और जिसका नाम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स की पंजी (रजिस्टर) में नामांकित हो अथवा नामांकित माना गया हो;

(ङ) "ऑक्यूपेशनल थेरेपी" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति की ऐसी शाखा, जिसमें सर्वोत्तम गतिशीलता प्राप्त करने, नि:शक्तता को रोकने और स्वास्थ्य को बनाये रखने के क्रम में, ऐसे व्यक्तियों, जिनकी कार्यशीलता जटिल एवं जीर्ण शारीरिक रोगों या चोट, शारीरिक दुष्क्रिया, जन्मजात अथवा विकासीय विकार या बुढ़ापे के कारण क्षीण हो गई हो, के उपचार में कम्प्यूटरीकृत पद्धति तथा उसी प्रकार की अद्यतन तकनीक के माध्यम से उद्देश्यपरक लक्ष्योन्मुखी कार्यप्रणाली का उपयोग शामिल है;

(च) "फिजियोथेरेपिस्ट" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति, जो मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी अर्हता धारण करता हो और जिसका नाम, फिजियोथेरेपिस्ट के पंजी (रजिस्टर) में नामांकित हो अथवा नामांकित माना गया हो;

(छ) "फिजियोथेरेपी" से अभिप्रेत है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखा, जिसमें परीक्षण, निर्धारण, निर्वचन, शारीरिक जांच, फिजियोथेरेपी उपचार और सलाह की योजना एवं निष्पादन द्वारा किसी व्यक्ति को उसके शारीरिक विकारों के निवारण या दुष्क्रिया, उग्र एवं जीर्ण अस्वाभाविक क्रिया की रोकथाम, सुधार, शारीरिक शिथिलता को सीमित और दूर करने के प्रयोजन के लिये या उसके संबंध में गहन चिकित्सा इकाईयों में चेस्ट फिजियोथेरेपी के माध्यम से जीवन सुरक्षा उपायों सहित व्यायाम, गतिशीलता, हस्तोपचार, थेराप्यूटिक सोनोग्राफी, इलेक्ट्रिकल, थर्मल अभिकर्ताओं और इलेक्ट्रोथेरेपी एवं फिजियोथेरेपी उपचार और रोकथाम सहित भौतिक अभिकर्ताओं, क्रियाकलापों और उपकरणों का प्रयोग करते हुए आधुनिक फिजियोलॉजिकल और फिजिकल अनुक्रियाओं के माध्यम से शारीरिक स्वस्थता को प्रोत्साहित करने, शारीरिक और मन:शारीरिक विकारों को मापना, दर्द निवारण और उपचार की सुविधा प्रदान करना सम्मिलित है;

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों द्वारा विहित;

(झ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष;

(ञ) "व्यवसाय" से अभिप्रेत है यथास्थिति, फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का व्यवसाय;

(ट) "मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी अर्हता" अथवा "मान्यता प्राप्त ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता" से अभिप्रेत है अनुसूची में यथा उल्लिखित फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी के संबंध में परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में, यथास्थिति, फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अभिप्राप्त अर्हता;

(ठ) "पंजी (रजिस्टर)" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (2) के अधीन तैयार की गई और इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा संधारित की गई, यथास्थिति, फिजियोथेरेपिस्ट्स एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स, की पंजी (रजिस्टर);

(ड) "पंजीकृत व्यवसायी (प्रैक्टिशनर)" से अभिप्रेत है यथास्थिति, ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसका नाम परिषद् के पंजी (रजिस्टर) में दर्ज हो और उसमें निरंतर बना रहा हो;

(ढ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त परिषद् का रजिस्ट्रार;

(ण) "विनियमन" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनाया गया विनियमन;

(त) "नियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम;

(थ) "विशिष्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेवाएं" से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, किन्तु यह दैनिक जीवन यापन गतिविधियों में शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, इसमें स्पिलिन्ट की संरचना, निर्माण, उपयोग या स्पिलिन्ट, ग्राह्य उपकरणों के चयन और उपयोग हेतु मार्गदर्शन, कार्य निष्पादनों की अभिवृद्धि हेतु थेराप्यूटिक गतिविधियां; भौतिक वातावरणों की ग्राह्यता संबंधी पूर्व-व्यावसायिक मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण और परामर्श, जो किन्हीं व्यक्तियों अथवा समूहों तथा दोनों को, चाहे वे अंत:रोगी हों या बाह्यरोगी हों, प्रदाय करा सकेंगे, भी शामिल है.

(द) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ध) "धारा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा;

(न) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

(प) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई विश्वविद्यालय या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व की कोई ऐसी संस्था जैसा कि विधि द्वारा संसद द्वारा घोषित किया जाये.

अध्याय-दो
परिषद् का गठन

परिषद् का गठन एवं संरचना.

3\. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात्, राज्य शासन यथाशीघ्र, एक परिषद् का गठन करेगा जो फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेतु छत्तीसगढ़ परिषद् कहलायेगा.

(2) परिषद् में निम्नलिखित सदस्यगण सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

(एक) संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन जो कि अध्यक्ष होंगे (पदेन);

(दो) संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ शासन (पदेन);

(तीन) फिजियोथेरेपिस्टों में से दो सदस्यगण, जिनमें से एक प्राचार्य, शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालय और अन्य को फिजियोथेरेपिस्टों के पंजी में नामांकित पंजीकृत व्यवसायियों में से शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(चार) ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में से दो सदस्यगण, जिन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पंजी रजिस्टर में नामांकित पंजीकृत व्यवसायी में से शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(पांच) स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसायटी/गैर शासकीय संगठन से एक सदस्य को राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

परिषद् का निगमन.

4\. परिषद्, फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए छत्तीसगढ़ परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी साथ ही उसके पास चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति को अर्जित करने, धारण करने और निपटान करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद लाया जायेगा या उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जायेगा.

रजिस्ट्रार की नियुक्ति.

5\. (1) परिषद्, शासन की पूर्व मंजूरी से, रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगा, जो ऐसी अर्हता को धारित करता हो, जैसा कि विहित किया जाये.

(2) रजिस्ट्रार, परिषद् का सचिव और कार्यकारी अधिकारी होगा तथा परिषद् की सभी बैठकों में उपस्थित रहेगा, ऐसी बैठकों के कार्यवाही विवरण तथा उपस्थित सदस्यों के नाम का संधारण करेगा.

(3) परिषद् के लेखाओं का संधारण रजिस्ट्रार द्वारा, विहित रीति में, किया जायेगा.

(4) रजिस्ट्रार को स्टॉफ पर ऐसी पर्यवेक्षी शक्तियां होगी, जैसा कि विहित किया जाए तथा उसे ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना होगा, जैसा कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया जाये अथवा विहित किया जाये.

6. (1) परिषद् के सदस्यों का नामांकन एवं ऐसी अवधि एवं ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये. नामांकन की रीति.

(2) परिषद् के नामांकित सदस्य को ऐसी रीति से हटाया जायेगा जैसा कि विहित किया जाये :

परन्तु ऐसे सदस्य को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, शासन द्वारा हटाया नहीं जायेगा.

7. कोई भी व्यक्ति, परिषद् का सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं होगा, यदि- निरर्हता.

(क) वह विक्षिप्त है या विक्षिप्त हो जाता है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित कर दिया जाता है; अथवा

(ख) वह किसी नैतिक भ्रष्टाचार से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिये दोषी है अथवा दोषसिद्ध किया गया है जो शासन की राय में उसे परिषद् का सदस्य बनने हेतु अयोग्य माना जाता हो; अथवा

(ग) उसे किसी उन्मुक्त दीवालिया के रूप में न्यायनिर्णित हो या किसी भी समय न्यायनिर्णित किया गया हो; अथवा

(घ) उनके नाम को पंजी (रजिस्टर) से हटा दिया गया हो और उसमें पुन: प्रविष्टि नहीं की गई हो; अथवा

(ङ) वह परिषद् का पूर्णकालिक अधिकारी या सेवक हो.

8. परिषद् की बैठकें ऐसे अंतरालों पर तथा ऐसी रीति से आयोजित होंगी, जैसा कि विहित किया जाये. परिषद् की बैठकें.

9. कार्यपालिक समिति एवं अन्य समिति ऐसी रीति से गठित की जायेंगी एवं ऐसे कृत्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगी, जैसा कि विहित किया जाये. कार्यपालिक समिति एवं अन्य समितियां.

10. परिषद्, रजिस्ट्रार के अलावा, ऐसे कर्मचारीवृन्द (स्टॉफ) और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी, जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक समझे: परिषद् के अन्य कर्मचारीगण.

परन्तु कर्मचारीवृन्द और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या तथा पद, उनके वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाये.

अध्याय-तीन
परिषद् के कृत्य

11. परिषद् के निम्नलिखित कृत्य होंगे,- परिषद् का कृत्य.

(क) सभी स्तरों पर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, शिक्षा तथा सेवाओं के मानकों को विहित और प्रवर्तित करना;

(ख) राज्य में व्यवसायियों (प्रैक्टिशनरों) के व्यावसायिक आचरण के विनियमन के लिए आचार संहिता विहित करना;

(ग) राज्य के लिये फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पंजीयन के लिये पंजी का संधारण करना और पंजीयन प्रदान करना;

(घ) फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्कताओं से संबंधित विषयों में शासन को सलाह देना;

(ङ) रजिस्ट्रार के किसी निर्णयों से अपीलों की सुनवाई करना और निर्णय लेना;

(च) किसी व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) को पूर्ण चेतावनी देना अथवा निलंबित करना अथवा उसे पंजी से हटाना अथवा उसके विरूद्ध ऐसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, जैसा कि परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो;

(छ) फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना; और

(ज) ऐसी शक्ति का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि इस अधिनियम में अभिकथित हो या जैसा कि विहित किया जाये.

अध्ययन के नये पाठ्यक्रम आदि की स्थापना हेतु पूर्व अनुमति .

12\. (1) शासन द्वारा अधिसूचित की गई ऐसी तिथि से प्रभावी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-

(क) कोई भी व्यक्ति,

(ख) कोई भी संस्थान-

इस धारा के प्रावधानों के अनुसार शासन की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त किये बिना,

(एक) अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) नहीं खोलेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के विद्यार्थी को समर्थ बनाएगा; अथवा

(दो) अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) अपनी प्रवेश क्षमता को नहीं बढ़ायेगा;

स्पष्टीकरण- (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, "व्यक्ति" में सम्मिलित है, ट्रस्ट का कोई विश्वविद्यालय या सोसायटी या संस्थान, किन्तु इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार सम्मिलित नहीं है.

स्पष्टीकरण- (2) इस धारा के प्रयोजन के लिये, किसी संस्थान में अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के संबंध में, शब्द "प्रवेश क्षमता" से अभिप्रेत है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण के लिए प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या, जिसका निर्धारण परिषद् द्वारा समय-समय पर, किया जायेगा.

(2) (क) उप-धारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से, प्रत्येक व्यक्ति या संस्थान, खण्ड (ख) के प्रावधानों के अनुसार, शासन को एक योजना प्रस्तुत करेंगे तथा शासन, ऐसी योजना को, परिषद् को उनकी अनुशंसा के लिए निर्दिष्ट करेगा.

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट योजना में, ऐसे प्ररूप होंगे तथा ऐसे विवरण अन्तर्विष्ट होंगे और वह ऐसी रीति एवं ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत की जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये.

(3) उप-धारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा योजना की प्राप्ति पर परिषद्, संबंधित व्यक्ति या संस्थान से, ऐसे अन्य विवरण प्राप्त कर सकेगी, जैसा कि उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए, और तत्पश्चात् वह-

(क) यदि योजना दोषपूर्ण है और यदि कोई आवश्यक विवरण अन्तर्विष्ट नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति या संस्थान को लिखित अभ्यावेदन देने के लिए, एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी और उसे परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट विसंगतियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए, ऐसे व्यक्ति या संस्थान के लिये खुला रखा जायेगा;

(ख) उप-धारा (7) में निर्दिष्ट मदों से संबंधित होने पर, योजना पर विचार करेगी तथा योजना को अपनी अनुशंसाओं के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी.

(4) शासन, योजना और उप-धारा (3) के अधीन परिषद् की अनुशंसाओं पर विचार करने के उपरांत तथा संबंधित व्यक्ति या संस्थान से, यथा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य विवरणों को, जहां आवश्यक हो, प्राप्त करने के पश्चात् तथा उप-धारा (7) में निर्दिष्ट मदों से संबंधित होने पर या तो योजना को अनुमोदित करेगा तथा ऐसी शर्तों, यदि वह आवश्यक समझे, के साथ, योजना के इस प्रकार के अनुमोदन को उप-धारा (1) के अधीन एक अनुमति समझा जाएगा तथा राज्य शासन, अनुसूची में संशोधन कर सकेगा, ताकि ऐसे व्यक्ति या संस्थान के नाम को सम्मिलित किया जा सके, अथवा योजना को अस्वीकृत कर सकेगा:

परंतु यह कि संबंधित व्यक्ति या संस्थान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् शासन द्वारा योजना को अस्वीकृत किया जा सकेगा:

परंतु यह और कि इस उप-धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति या संस्थान, जिनकी योजना को शासन द्वारा अस्वीकृत किया गया हो, को नई योजना प्रस्तुत करने के लिए, रोका नहीं जाएगा और इस धारा के प्रावधान, इस प्रकार की योजना के लिए ऐसे लागू होंगे, मानों ऐसी योजना को उप-धारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत किया गया हो.

(5) उप-धारा (2) के अधीन शासन को ऐसी योजना की प्रस्तुति की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर, योजना को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या संस्थान को कोई आदेश संसूचित नहीं किया गया है, तो इस प्रकार की योजना को शासन द्वारा ऐसे प्ररूप में, जिसमें उसे प्रस्तुत किया गया था, अनुमोदित किया गया समझा जाएगा तथा तद्नुसार उप-धारा (2) के अधीन अपेक्षित शासन की अनुमोदन भी प्रदान कर दी गई समझी जाएगी.

(6) उप-धारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में, परिषद् द्वारा या शासन द्वारा मांगे गए किसी विवरणों को प्रस्तुत करने में, योजना को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति या संस्थान द्वारा ली गई समय सीमा को अपवर्जित किया जाएगा.

(7) उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी अनुशंसाएं देते समय परिषद् तथा कोई आदेश पारित करते समय शासन, या तो उप-धारा (4) के अधीन योजना को निम्नलिखित मदों के संबंध में सम्यक् रूप से अनुमोदित या अस्वीकृत करेगा, अर्थात् :-

(क) क्या प्रस्तावित संस्थान या वर्तमान संस्थान, जो अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलना चाहती है, यथा विहित शिक्षा के न्यूनतम मानकों के प्रदाय की स्थिति में है;

(ख) क्या व्यक्ति, जो संस्थान स्थापित करने का इच्छुक है अथवा विद्यमान संस्थान, जो यथास्थिति, अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलने का इच्छुक है अथवा अपने प्रशिक्षण में अभिवृद्धि करना चाहता है अथवा अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहता है, के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध है;

(ग) क्या संस्थान के उचित कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए अथवा अध्ययन या प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अथवा बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता की सुविधा के लिए स्टॉफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के

संबंध में भी आवश्यक सुविधाएं, योजना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उपलब्ध करा दी गई है अथवा उपलब्ध करा दी जायेंगी.

(घ) क्या यथास्थिति, मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा, अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या ऐसे संस्थान में सम्मिलित होने वाले संभावित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई कार्यक्रम अथवा कोई व्यवस्था तैयार की गई है;

(ङ) क्या यथास्थिति, फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी के व्यवसाय के क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई आवश्यक व्यवस्था एवं कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) जहां शासन, इस धारा के अधीन, या तो किसी योजना को अनुमोदित या अस्वीकृत करने के लिए कोई आदेश पारित करता है, वहां ऐसे आदेश की एक प्रति, संबंधित व्यक्ति या संस्थान को संसूचित की जायेगी.

(छ) कोई अन्य मद, जैसा कि विहित किया जाये.

कतिपय मामलों में अर्हताओं की गैर-मान्यता.

13. (1) शासन की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित कोई संस्थान, मान्यता प्राप्त संस्थान नहीं होंगे तथा ऐसे संस्थान द्वारा किसी विद्यार्थी को जारी की गई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपाधि या पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में नहीं माने जाएंगे.

(2) जहां कोई संस्थान, शासन की पूर्व अनुमति के बिना, अध्ययन या प्रशिक्षण (अध्ययन या प्रशिक्षण के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित) के नए या उच्च पाठ्यक्रम खोलता है, वहां ऐसे अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी विद्यार्थी को प्रदान की गई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता को, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्राप्त अर्हता नहीं माना जाएगा.

(3) जहां कोई संस्थान, शासन की पूर्व अनुमति के बिना, अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता को बढ़ाती है, वहाँ अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि के आधार पर ऐसे संस्थान के किसी विद्यार्थी को प्रदान की गई कोई फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता को, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता नहीं माना जाएगा.

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजन हेतु, किसी विद्यार्थी, जिसे प्रवेश क्षमता में इस प्रकार की वृद्धि के आधार पर फिजियोथेरेपी अथवा ऑक्यूपेशनल थेरेपी अर्हता प्रदान की गई है, की पहचान हेतु ऐसे मापदण्ड होंगे, जैसा कि विहित किया जाये.

कतिपय विद्यमान संस्था आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु समय.

14. इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, यदि किसी व्यक्ति ने कोई संस्थान स्थापित किया है अथवा किसी संस्थान ने अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्च पाठ्यक्रम खोला है अथवा अपनी प्रवेश क्षमता बढ़ाई है, तो यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या संस्थान, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर, शासन की अनुमति प्राप्त करेगा.

भारत में विश्वविद्यालयों आदि द्वारा प्रदत्त अर्हताओं की मान्यता.

15. किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त अर्हताएं (जो कि फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी में स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएच.डी हो सकेगी) इस अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होंगी.

व्यावसायिक आचार.

16. (1) परिषद्, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए विनियम बना सकेगी और व्यावसायिक आचार एवं शिष्टाचार के मानकों और आचार संहिता अभिनिर्धारित कर सकेगी.

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्मित विनियमों को उल्लंघन, व्यावसायिक कदाचरण माना जाएगा और इस प्रकार के प्रावधान, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपना प्रभाव रखेगा.

(3) जब कभी रजिस्ट्रार, ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, के पश्चात् अनुशंसा करता है कि फिजियोथेरेपिस्ट्स के रजिस्टर में और आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स के रजिस्टर में नामांकित किसी व्यक्ति के नाम को उनके व्यावसायिक कदाचरण के कारण, हटाया जाये, तो इसकी रिपोर्ट परिषद् को करेंगे और परिषद्, ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, के पश्चात् आदेश द्वारा, या तो स्थायी या आदेश में यथा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये उक्त रजिस्टर से ऐसे व्यक्ति के नाम को हटाने का निर्देश देगी.

(4) परिषद् के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्ररूप एवं रीति में, शासन को प्रस्तुत कर सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

(5) ऐसी अपील की प्राप्ति पर, शासन, पक्षकार को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे और वह अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

अध्याय-चार
वित्त

17. परिषद् की आय में निम्नलिखित शामिल होंगे- — परिषद् की आय.

(एक) व्यावसायिक (प्रैक्टिशनर) से प्राप्त शुल्क;

(दो) राज्य शासन से प्राप्त अनुदान;

(तीन) परिषद् द्वारा प्राप्त कोई अन्य राशि.

18. (1) निधि से संबंधित सभी राशियों को, ऐसी रीति में, ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा या निवेश किया जाएगा, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये. — परिषद् की निधियां.

(2) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन हेतु ऐसी राशियों का व्यय कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे और इस प्रकार की राशि को इस अधिनियम के अधीन देय व्यय के रूप में माना जाएगा.

19. परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाते हुए, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय में एक बजट तैयार करेगी, जैसा कि विहित किया जायेगा. — बजट.

20. परिषद्, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप और ऐसे समय में एक वार्षिक रिपोंट तैयार करेगी, जैसा कि विहित किया जाये, वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की सही और संपूर्ण जानकारी देगी. — वार्षिक रिपोर्ट.

अध्याय-पांच
पंजी (रजिस्टर) तैयार करना और उसका संधारण करना

21. (1) रजिस्ट्रार, नियुक्ति तिथि के पश्चात् यथाशीघ्र, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स के लिए एक पंजी (रजिस्टर) तैयार करेगा और संधारित करेगा. — पंजीयन हेतु पात्र व्यक्ति.

(2) राज्य में कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार और परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में स्नातक या स्नातकोत्तर या पीएचडी उपाधि प्राप्त तथा प्रशिक्षित हो, विहित शुल्क भुगतान कर तथा अपनी स्नातक या स्नातकोत्तर या पी.एचडी. उपाधि को प्रस्तुत कर, पंजी में अपना नाम दर्ज कराने हेतु पात्र होगा.

(3) कोई व्यक्ति, जो राज्य के बाहर से अर्हता प्राप्त करता है और अपने राज्य के राज्य परिषद् के पंजी में पंजीकृत है अथवा यदि आवेदक किसी विश्वविद्यालय से नियमित विद्यार्थी के रूप में अर्ह है, तो उसका पंजीयन पंजी में ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये.

(4) पंजीयन हेतु आवेदन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा, जो उसकी समीक्षा के पश्चात् इसे संबंधित समिति के समक्ष आगामी बैठक में उनकी अनुशंसा के लिए रखेंगे और तत्पश्चात् समिति की अनुशंसा के साथ परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे.

(5) पंजी (रजिस्टर), ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसे कॉलम में विभाजित किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाये जिसमें पंजीकृत फिजियोथेरेपिस्ट्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स का पूरा नाम, पता, जन्मतिथि और अर्हताएं, वह तिथि, जिस पर ऐसी अर्हता प्राप्त की हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जैसा कि विहित किया जाये, सम्मिलित होंगी.

पंजीयन प्रमाणपत्र

22. जब पंजीयन हेतु आवेदन स्वीकृत कर दिया जाता है, तो परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

पंजी से नाम का हटाया जाना.

23. (1) परिषद्, आदेश के द्वारा, किसी ऐसे व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) का नाम पंजी से हटा सकेगी, जो किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो अथवा जिसे जांच के पश्चात् व्यावसायिक कदाचरण का दोषी पाया गया हो.

(2) यदि परिषद् द्वारा अथवा कार्यकारिणी समिति द्वारा सम्यक् रूप से विहित रीति से सम्यक् जांच के पश्चात्, किसी पंजीकृत व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) को किसी कदाचरण का दोषी पाया जाता है, तो परिषद्,-

(एक) ऐसे व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) को चेतावनी पत्र जारी कर सकती है, अथवा

(दो) ऐसे व्यवसायी (प्रैक्टिशनर) के नाम को-

(क) ऐसी कालावधि, जैसा कि निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए (पंजी) से विलोपित करने के लिए; अथवा

(ख) रजिस्टर से स्थायी रूप से विलोपित करने के लिए निर्देशित कर सकती है.

अध्याय-छ:

अपराध एवं शास्तियां

अनाधिकृत व्यक्ति या संस्थान द्वारा पी.एचडी, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि, आदि प्रदान करना, मंजूर करना अथवा जारी करना.

24. (1) इस अधिनियम के अधीन मान्यता प्राप्त अथवा प्राधिकृत किसी संस्थान के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से यह प्रदर्शित करते हुए कि धारक, प्राप्तकर्ता या पानेवाला या फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जैसी भी स्थिति हो, का व्यवसाय करने के लिए योग्य है और तत्संबंधी कोई पी.एचडी. स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि या इसी प्रकार का अन्य कोई अवार्ड प्रदान करने, मंजूर करने या जारी करने के लिए हकदार है, इस प्रकार से या प्रदान, मंजूर या जारी नहीं कर सकता या इस हेतु हकदार नहीं हो सकता.

(2) फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन संधारित पंजी (रजिस्टर) में दर्ज है, के अलावा अन्य कोई व्यक्ति फिजियो थेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की प्रैक्टिस नहीं करेगा.

(3) कोई भी व्यक्ति या संस्थान, जो उप-धारा (1) या (2) के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करता है और दोषी पाया जाता है, तो ऐसे प्रथम अपराध के लिये एक लाख रुपये तक के जुर्माने तथा अनुवर्ती अपराध के लिये ऐसा करावास जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, से दंडित किये जाने के लिये दायी होगा:

परंतु यह कि,-

(1) यह प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त में होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं;

(2) इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियां, शासन की पूर्व सहमति के बिना प्रारंभ नहीं की जायेगी.

अध्याय-सात
विविध

शासन द्वारा निर्देश.

25. (1) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए परिषद् ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी, जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये जाए.

(2) इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा इसके कार्यों के निष्पादन और उसके प्राधिकार के प्रयोग के संबंध में, यदि किसी प्रकार का विवाद परिषद् और शासन के मध्य उत्पन्न होता है, तो ऐसे विवाद पर शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

परिषद् को अधिक्रमित करने की शक्ति.

26. (1) यदि शासन का यह मत है कि परिषद् अपने कार्य के निष्पादन में असमर्थ है अथवा इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरंतर व्यतिक्रम करती है अथवा उसने अपने शक्तियों का अतिक्रमण या दुष्प्रयोग किया है अथवा शासन द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश के पालन करने में वे पर्याप्त कारण के बिना अथवा जानबूझकर असफल रहती है, तो शासन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, परिषद् को ऐसी कालावधि के लिए अधिक्रमित कर सकेगा, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, शासन परिषद् को युक्तियुक्त समय देते हुए कारण दर्शाते हुए यह नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उन्हें अधिक्रमित किया जाए और परिषद् के स्पष्टीकरण और आपत्तियां, यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा.

(2) उप-धारा (1) के अधीन परिषद् के अधिक्रमण की अधिसूचना के प्रकाशन पर,-

(क) परिषद् के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, ऐसे सदस्यों के रूप में अपना पद अधिक्रमण की तारीख से रिक्त कर देंगे.

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा अथवा अंतर्गत सभी शक्तियों तथा कर्तव्य, जो कि परिषद् के द्वारा या उसकी ओर से प्रयुक्त और निष्पादित किये जाते हों, अधिक्रमण की कालावधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा प्रयुक्त एवं निष्पादित किये जाएंगे, जैसा कि शासन द्वारा निर्देशित किया जाये;

(ग) परिषद् में निहित सभी संपत्ति, अधिक्रमण की कालावधि के दौरान, शासन में निहित होगी.

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत, जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की कालावधि की समाप्ति पर, शासन-

(क) अधिक्रमण की कालावधि को ऐसी आगामी कालावधि के लिए विस्तारित कर सकेगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाए; अथवा

(ख) विहित रीति में परिषद् का पुनर्गठन कर सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

27. शासन के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा, परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकेगी.

विनियम बनाने की शक्ति.

28. (1) परिषद्, इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्यों के निष्पादन को समर्थ बनाने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए शासन को पूर्व अनुमोदन के साथ विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों से असंगत न हो.

(2) विशिष्टतया और उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम का निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) परिषद् की शक्ति का प्रबंधन;

(ख) परिषद् के लेखाओं का अनुरक्षण और लेखा परीक्षण;

(ग) परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र;

(घ) परिषद् और उसकी समितियों के कारबार के संव्यवहार हेतु प्रक्रिया के नियम;

(ङ) समितियों की नियुक्तियों हेतु प्रक्रिया, उनके कार्य और कर्तव्य;

(च) परिषद् के अधिकारी एवं उसके कर्मचारीगण की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, प्रक्रिया, उनकी शक्तियाँ और कर्तव्य;

(छ) दिये जाने वाले प्रशिक्षण की या अध्ययन की कालावधि एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा के विषय एवं फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मान्यता प्राप्त उपाधि के प्रदाय हेतु किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में निहित दक्षता का मानक;

(ज) फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अध्ययन अथवा प्रशिक्षण हेतु स्टॉफ, उपकरण, आवास, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं का मानक;

(झ) परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षकों की योग्यताएं और इन परीक्षाओं में प्रवेश की शर्तें;

(ञ) फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावसायिक आचार, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानक;

(ट) रीति, जिसमें तथा शर्तें, जिसके अध्यधीन अपील प्रस्तुत की जा सके, के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(ठ) इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों और अपीलों के लिए भुगतान हेतु शुल्क;

(ड) कोई अन्य मामले, जो निर्धारित हो या किये जाने की संभावना हो.

(3) शासन, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन बनाए गये किसी विनियमन को विखण्डित या संशोधित कर सकती है और इसलिये विनियमन का उपान्तरण, यथास्थिति, निष्प्रभावी अथवा प्रभावी हो जायेगी.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

29. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के संबंध में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है, तो शासन, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कठिनाई को दूर करने या निराकरण के लिए यथा आवश्यकतानुसार ऐसे उपबंध बना सकेगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों:

परन्तु इस धारा के अंतर्गत कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्षो की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जाएगा.

(2) इस धारा के अंतर्गत बनाये गये प्रत्येक आदेश इसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे.

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.

30. (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि यह आवश्यक है अथवा ऐसा करना समीचीन है, तो वह, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी तथा अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी.

अनुसूची

1. फिजियोथेरेपी

    एक. फिजियोथेरेपी स्नातक

    दो. फिजियोथेरेपी स्नातकोत्तर

    तीन. पी.एच डी.

2. ऑक्यूपेशनल थेरेपी

    एक. ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्नातक

    दो. ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्नातकोत्तर

    तीन. पी.एच डी.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्वास्थ्य चिकित्सा की ऐसी विधायें हैं, जो नि:शक्त लोगों का कार्यात्मक पुनर्वास प्रदान करने पर केन्द्रित है तथा दोनों विधायें, अपने ज्ञान, कौशल में और नि:शक्तता के प्रबंधन हेतु अपने दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक हैं.

और यत:, छत्तीसगढ़ शासन, फिजियोथेरेपिस्ट्स एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स को विनियमित करने हेतु एक परिषद् की स्थापना करना चाहता है जो इस व्यवसाय को विनियमित करने के लिये न्यूनतम शैक्षणिक मानक स्थापित करेगी और प्रत्येक व्यवसाय के लिए व्यवसायिक कदाचरण का मानक विनिर्दिष्ट करने हेतु, अर्हता प्राप्त प्रैक्टिशनरों का एक पंजी संधारित करेगी तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी.

और यत:, स्थायी नि:शक्त व्यक्ति के संबंध में यह अत्यंत वांछनीय है कि वे अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं फिजियोथेरेपिस्ट के ज्ञान तथा कौशल पहुंच बना सके ताकि यथा संभव शीघ्र, सुसंगत भौतिक चिकित्सा किया जा सके.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 13 दिसम्बर, 2015

अजय चंद्राकर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के खण्ड 4, खण्ड 10, एवं खण्ड 17 में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रु. 15.00 लाख (राशि रु. पंद्रह लाख) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों को प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :-

खण्ड	1(3)	अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि नियत किया जाना,
खण्ड	9	कार्यपालिक समिति एवं अन्य समितियां गठित करने का अधिकार
खण्ड	11	फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी शिक्षा सेवाओं के मानकों का निर्धारण, व्यावसायियों के व्यावसायिक आचरण के विनियमन के लिए आचार संहिता निर्धारण एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार.
खण्ड	16	फिजियोथेरेपिस्ट एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के विनियमन बनाना और व्यावसायिक आचार एवं शिष्टाचार के मानकों और आचार संहिता अभिनिर्धारित करना.
खण्ड	24(3)	उपखण्ड (1) एवं (2) के उल्लंघन पर जुर्माना एवं दण्ड प्रावधान.
खण्ड	27	नियम बनाने की शक्ति.
खण्ड	28	विनियम बनाने की शक्ति.
खण्ड	29	अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में उत्पन्न कठिनाई दूर करने की शक्ति.
खण्ड	30	अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.

(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.